संख्या–वे0आ0–2–250 / दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 01 जून, 2012

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–7) में दी गयी संस्तुतियों पर यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें और समिति की निम्न संस्तुति को सुझाव के रुप में स्वीकार किया जाये :––

> प्रदेश में स्थापित सभी राजकीय तथा निजी मेडिकल कॉलेजों को छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में विचार करने हेतु प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाय। उक्त समिति द्वारा राजकीय तथा निजी मेडिकल कॉलेजों को छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक पदों का आंकलन कर सम्बन्धित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2– 250(1) / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :––

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

3- निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।